(383)

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्र. /2018

निगरानी-4111/2018/भिण्ड/भू.रा.

1. म. कमनता बेवा लवकुश, आयु- 26 वर्ष,
2. शिवानी पुत्री लवकुश, आयु- 05 वर्ष,
3. राधिका पुत्री लवकुश, आयु- 03 वर्ष, दोने नाबालिग सरपरस्ती मॉ म. कामनता बेवा लवकुश, समस्त निवासीगण- वार्ड न. 7, कस्बा मिहोना, तहसील मिहोना जिला भिण्ड (म.प्र.)

श्री विनोद भार्गव अभि. द्वारा आज दि. 3-7-18 को प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 12-7-18 नियत।

क्लर्क ऑफ कोर्ट 3-7-18
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

--आवेदकगण

विरूद्ध

1. अंकुश पुत्र रामौतार, आयु- 17 वर्ष, निवासी- वार्ड न. 17 कस्ता मिहना, तहसील मिहोना, जिला भिण्ड (म.प्र.) नाबालिग सरपरस्त बहनोई पंकज कुमार पुत्र नृपतलाल, आयु- 40 वर्ष, निवासी- कस्बा लहार तहसील लहार जिला भिण्ड (म.प्र.)
2. म. रामहरी बेवा रामौतार, आयु- 50 वर्ष, निवासी- वार्ड न. 7, कस्बा मिहोना, तहसील मिहोना जिला भिण्ड (म.प्र.)

विनोद भार्गव
एडवोकेट
ग्वालियर
03-07-2018

--अनावेदकगण

न्यायालय तहसीलदार तहसील मिहोना जिला भिण्ड म.प्र. द्वारा प्रकरण क्रमांक 49/2017-18/अ-6(2) में पारित आदेश पारित दिनांक 31/05/2018 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अधीन अपील ।

(383)

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-4111/2018/भिण्ड/भू.रा.

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
05-12-18	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री आर.डी. शर्मा उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अत: यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 24-4-19 को कलेक्टर, जिला भिण्ड के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य**	